रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2013/श्रावण 23, 1935
No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013/SHRAVANA 23, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 551(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 1/2000-आरबी) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(i) ये निनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियमों में संशोधन :—

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2000 में, विनियम 4 में, उप विनियम (ए) में, परंतुक के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, :—

"बशर्ते कि—

(ए) इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के अंतर्गत कोई निवासी व्यक्ति अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पूंजी खातेगत लेनदेनों के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से प्रति वित्तीय वर्ष 75,000 अमरिकी डालर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, निश्चित की गई राशि तक ही विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है । इसके अलावा, भारत से बाहर किसी अचल संपत्ति के अर्जन के लिए इस योजना के अंतर्गत और राशि विप्रेषित करने की अनुमति नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खातेगत लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची-III की पद सं. 3 और 4 के अनुसार निवासी व्यक्तियों द्वारा उपहार अथवा दान के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण उपर्युक्त परन्तुक (ए) में विनिर्दिष्ट सीमा में शामिल किया गया है;

(बी) जहां किसी निवासी व्यक्ति द्वारा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पूंजी खातेगत लेनदेन के लिए आहरित विदेशी मुद्रा प्रति वित्तीय वर्ष 75,000 अमरिकी डालर अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित राशि से अधिक होगी, वहां ऐसे मामलों में संबंधित विनियम में विनिर्दिष्ट सीमा ऐसे आहरणें के संबंध में लागू होगी ।

बशर्ते इसके अलावा 75,000 अमरिकी डालर अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित विदेशी मुद्रा राशि का कोई भाग जो इस परंतुक (ए) के अंतर्गत आहरित किया जाता है, उसका उपयोग वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा असहयोगी देशों और क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विप्रेषित नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है ।"

[सं. फेमा 282/2013-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण : मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 384 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

i. 23 मार्च 2004 के सा.का.नि. सं. 207 (अ),

ii. 5 जनवरी, 2008 के सा.का.नि. सं. 14 (अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August, 2013

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India, in consultation with Central Government, makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA.1/2000–RB dated May 3, 2000) namely :—

1. Short Title and Commencement :

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, in regulation 4, in sub-regulation (a), for the provisos, the following shall be substituted :-

" Provided that –

(a) subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, a resident individual may, draw from an authorized person foreign exchange not exceeding USD 75000 per financial year or such amount as decided by Reserve Bank from time to time for a capital account transaction specified in Schedule I. Further, any remittances for acquisition of immovable property outside India under the Scheme shall not be permitted.

Explanation : Drawal of foreign exchange by resident individuals towards remittances of gift or donations as per item No. 3 and 4 of Schedule III to Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 dated 3rd May 2000 as amended from time to time, shall be subsumed within the limit under proviso (a) above;

(b) where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule I exceeds USD 75000 or as decided by Reserve Bank from time to time as the case may be, per financial year, the limit specified in the regulations relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal :

Provided further that no part of the foreign exchange of USD 75000 or as decided by Reserve Bank from time to time as the case may be, drawn under proviso (a) shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-co-operative countries and territories by Financial Action Task Force (FATF) from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned."

[No. FEMA 282/2013-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

i. No. G.S.R. 207(E) dated March 23,2004 and

ii. No. G.S.R. 14(E) dated January 5,2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 552(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3), के खण्ड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) (इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।

(ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हुए हैं ।

2. भाग 1 में विनियम 6 में संशोधन :

(i) विनियम 6 में, उप विनियम 2 में, खंड (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी भारतीय पार्टी द्वारा जेवी/डब्ल्यूओएस में कुल वित्तीय प्रतिबद्धता भारतीय पार्टी के अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को उसकी निवल मालियत के 100%, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : निवल मालियत के 100%, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

(ए) बाज़ार से क्रय के द्वारा विप्रेषण, अर्थात् पूर्णत: परिवर्तनीय मुद्रा में, भूटान के मामले में पूर्णत: परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा समतुल्य भारतीय रुपये में निवेश, नेपाल के मामले में केवल भारतीय रुपये में निवेश;

(बी) निर्यात प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों का पूंजीकरण और पात्रता जैसा कि विनियम 11 में उल्लेख किया गया है;

(सी) किसी भारतीय पार्टी द्वारा जेवी/डब्ल्यूओएस को या उसकी ओर से दी गयी गारंटी के मूल्य का 100%;

(डी) समुद्रपारीय कार्यालयों द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में निवेश;

(ई) बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अन्य पैरामीटरों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(एफ) भारतीय पार्टी द्वारा जेवी/डब्ल्यूओएस को अथवा उसकी ओर से जारी निष्पादन गारंटी के 50% ।

स्पष्टीकरण : उन मामलों में जहां वित्तीय एक्सपोजर के 100% की उच्चतम सीमा अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा को निष्पादन गारंटी का आव्हान भंग करता हो वहां भारतीय पार्टी ऐसे आव्हान के कारण/के संबंध में भारत से निधियों को विप्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगी ।

(जी) किसी भारतीय कंपनी के समुद्रपारीय जेवी/डब्ल्यूओएस की ओर से निवासी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी, जो भारतीय पार्टी द्वारा काउंटर गारंटी/को-लैटरल प्रतिभूति द्वारा समर्थित है, के मूल्य का 100%;

किसी भारतीय पार्टी द्वारा पाकिस्तान में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर अब से इस अधिसूचना के विनियम 9 के अंतर्गत अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा ।"

(ii) विनियम 6 में, उप विनियम 3 में, खंड (ii) निम्नलिखित शब्दों :

"भारत में प्राधिकृत व्यापारी भारतीय पार्टी की अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को यथा विद्यमान निवल मालियत के 400% से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : निवल मालियत के 400% की सीमा की गणना के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात् ।"

को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी भारतीय पार्टी के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसके द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी से आहरित विदेशी मुद्रा उसकी निवल मालियत 100%, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी;

स्पष्टीकरण : निवल मालियत के 100%, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात् ।"

(सी) विनियम 6, में उप विनियम 3 में, खंड (ii)(एच) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"(एच) जेवी/डब्ल्यूओएस को अथवा उसकी ओर से भारतीय पार्टी द्वारा जारी निष्पादन गारंटी के मूल्य का 50%।

स्पष्टीकरण : उन मामलों में जहां वित्तीय एक्सपोजर भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 100% की उच्चतम सीमा अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा को निष्पादन गारंटी का आव्हान भंग करता हो वहां भारतीय पार्टी ऐसे आव्हान के कारण/के संबंध में भारत से निधियों को विप्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगी ।"

[सं. फेमा 283/2013-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण : मूल विनियमावली भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवम्बर 2004 के सा.का.नि. सं. 757(अ) के जरिये प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

7 अप्रैल, 2005 के सं. सा.का.नि. 220(अ),

27 मई, 2005 के सं. सा.का.नि. 337(अ),

31 अगस्त, 2005 के सं. सा.का.नि. 552(अ),

6 सितम्बर, 2006 के सं. सा.का.नि. 535(अ),

5 जनवरी, 2008 के सं. सा.का.नि. 13(अ),

25 मार्च, 2008 के सं. सा.का.नि. 209(अ),

24 सितम्बर, 2008 के सं. सा.का.नि. 676(अ),

31 अक्तूबर, 2008 के सं. सा.का.नि. 756(अ),

20 फरवरी, 2009 के सं. सा.का.नि. 108(अ),

1 मई 2009, के सं. सा.का.नि. 301(अ),

23 जून 2009, के सं. सा.का.नि. 441(अ),

28 अगस्त 2009, के सं. सा.का.नि. 609(अ),

3 अगस्त 2013, के सं. सा.का.नि. 607(अ),

3 अगस्त, 2012, के सं. सा.का.नि. 609(अ),

22 नवम्बर, 2012, के सं. सा.का.नि. 947(अ),

05 अगस्त 2013, के सं. सा.का.नि. 529(अ),

29 मई, 2013 के सं. सा.का.नि. 345(अ),

30 जुलाई, 2013 के सं. सा.का.नि. 516(अ),

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of anyForeign Security) (Fifth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange

Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely :—

1. Short Title and Commencement:—

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fifth Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 6 in Part I

(i) In Regulation 6, in sub-regulation (2), for clause (i) the following shall be substituted:

"The total financial commitment of the Indian Party in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries shall not exceed 100%, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth of the Indian Party as on the date of the last audited balance sheet.

Explanation: For the purpose of determining the 'total financial commitment' within the limit of 100%, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth, the following shall be reckoned, namely:

(a) Remittance by market purchases, namely in freely convertible currencies; in case of Bhutan, investment made in freely convertible currencies or equivalent Indian Rupees, in case of Nepal investment made only in Indian Rupees;

(b) Capitalization of export proceeds and other dues and entitlements as mentioned in Regulation 11;

(c) Hundred per cent of the value of guarantees issued by the Indian party to on or behalf of the joint venture company or wholly owned subsidiary;

(d) Investment in agricultural operations through overseas offices or directly;

(e) External Commercial Borrowing in conformity with other parameters of the ECB guidelines;

(f) Fifty per cent of the value of performance guarantee issued by the Indian party to or on behalf of the JV/WOS.

Explanation : In cases where invocation of the performance guarantees breach the ceiling for the financial exposure of 100 per cent, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth of the Indian party, the Indian party shall seek the prior approval of the Reserve Bank before remitting funds from India, on account of such invocation.

(g) Hundred per cent of the value of the bank guarantee issued by a resident bank on behalf of an overseas JV/WOS of the Indian party, which is backed by a counter guarantee/ collateral by the Indian party.

Overseas direct investment by an Indian party in Pakistan shall henceforth be considered under the approval route under regulation 9 of this Notification."

(ii) In Regulation 6, in sub-regulation (3), in clause (ii), for the words :

"drawal of foreign exchange from an authorised dealer in India shall not exceed 400% of the net worth of the Indian Party as on the date of last audited balance sheet;

Explanation: For the purpose of the limit of 400 % of the net worth the following shall be reckoned, namely:" **the following shall be substituted :**

"drawal of foreign exchange from an authorised dealer in India shall not exceed 100%, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth of the Indian Party as on the date of last audited balance sheet;

Explanation: For the purpose of the limit of 100%, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth, the following shall be reckoned, namely:"

(iii) In Regulation 6, in sub-regulation (3), for clause (ii)(h) **the following shall be substituted**:

"(h) Fifty per cent of the value of performance guarantee issued by Indian party to or on behalf of the JV/WOS.

Explanation : In cases where invocation of the performance guarantees breach the ceiling for the financial exposure of 100 %, or as decided by the Reserve Bank from time to time, of the net worth of the Indian party, the Indian party shall seek the prior approval of the Reserve Bank before remitting funds from India, on account of such invocation."

[No. FEMA. 283/2013-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II,

Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide :

No. G.S.R. 220 (E) dated April 7, 2005,

No. G.S.R. 337 (E) dated May 27, 2005,

No. G.S.R. 552 (E) dated August 31, 2005,

No. G.S.R. 535 (E) dated September 6, 2006,

No. G.S.R. 13 (E) dated January 5, 2008,

No. G.S.R. 209(E) dated March 25, 2008,

No. G.S.R. 676 (E) dated September 24, 2008,

No. G.S.R. 756 (E) dated October 31, 2008,

No. G.S.R. 108 (E) dated February 20, 2009,

No. G.S.R. 301(E) dated May 1, 2009,

No. G.S.R. 441(E) dated June 23, 2009,

No. G.S.R. 609(E) dated August 28, 2009,

No. G.S.R. 607(E) dated August 3, 2012,

No. G.S.R. 609(E) dated August 3, 2012,

No. G.S.R. 947(E) dated November 22, 2012,

No. G.S.R. 529(E) dated August 05, 2013,

No. G.S.R. 345(E) dated May 29, 2013 and

No. G.S.R. 516(E) dated July 30, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.